

**"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"**  
(राज. सू. संशोधन अधिनियम 1958 की धारा 130)

2022/224 ✓

सेवा में  
श्रीमान् उपर्युक्त अधिकारी महोदय,  
शाहपुरा  
विषय- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,  
उपर्युक्त विषयसंबंधी निवेदन है कि ग्राम देवपुरी की  
जमाबन्दी सम्बन्धी सन्वत् 2075 से 78 के खाता संख्या 10, 83  
में महावीर के नाम पर उत्पन्न कर उत्पन्न है। जबकि मुताबिक  
सभी दस्तावेजों से महावीर पुत्र उत्पन्न नाम उत्पन्न  
है।  
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक:-

प्राणी  
(महावीर)

**रिपोर्ट-घटवारी एवं भूअनिधिक**

महोदयजी,  
निवेदन है कि ग्राम देवपुरी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्बन्धी सन्वत् 2075 से 78 के  
खाता संख्या 10, 83 में प्राणी का नाम महावीर पुत्र उत्पन्न दर्ज है। जबकि मुताबिक  
संलग्न दस्तावेजों से जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम महावीर पुत्र उत्पन्न है। जो  
संशोधित किया जाना उचित है।  
अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

महावीर पुत्र उत्पन्न  
भूअनिधिक

महावीर पुत्र उत्पन्न  
तहशिलदार (भीलवाड़ा)

**रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार**

प्राणी द्वारा राजभूराज अधिनियम 1958 की धारा 130 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर  
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्राणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र  
पर रिपोर्ट घटवारी देवपुरी व भूअनिधिक महावीर पुत्र उत्पन्न एवं प्राणी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आ धार पर  
ग्राम देवपुरी की जमाबन्दी सम्बन्धी सन्वत् 75 से 78 की खाता संख्या 10, 83 में प्राणी का  
नाम महावीर पुत्र उत्पन्न के बजाय महावीर पुत्र उत्पन्न किये जाने हेतु अनिर्वाह की जाती है।

तहसीलदार महावीर पुत्र उत्पन्न  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्राणी 16/2/22  
10/06/22

आदेश  
मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम देवपुरी जमाबन्दी सम्बन्धी सन्वत् 2075-78 खाता  
संख्या 10, 83 में दर्ज प्राणी का नाम महावीर पुत्र उत्पन्न के स्थान पर महावीर पुत्र उत्पन्न संशोधन के  
आदेश दिये जाते हैं।

उपर्युक्त अधिकारी  
प्रभारी अधिकारी  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)